न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 30 / 23

GCMS Id : 2023 / 75

1. मनमोहन सिंह कुशवाह पुत्र रामचन्द्र कुशवाह, जाति कुशवाह, निवासी ग्राम धाकडखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. अब्दुल हफीज पुत्र अब्दुल रज्जाक, जाति मुसलमान, निवासी पुलिस चौकी के पीछे, घण्टाघर, कोटा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र स्व. पुष्पचन्द
2. श्रीमती घीसी बाई पत्नी स्व. पुष्पचन्द
3. मनोज पुत्र स्व. पुष्पचन्द
4. श्रीमती ममता पुत्री स्व. पुष्पचन्द
5. लाड कंवर पुत्री स्व. पुष्पचन्द
   जाति धाकड, निवासीगण भैरूपाडा, कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : श्री बी. बी. शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक : 03.05.2024

1- प्रार्थीगण की ओर से मूल वाद के साथ जर्ये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान किये जाने अस्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि –

- ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 544 / 1, 647, 648, 649, 691 / 1 कुल किता 5 रकबा 2.733 हैक्टर प्रतिपक्षी क्रम 1 लगायत 5 के संयुक्त खाते में समभाग दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी में प्रतिपक्षी क्रम–1 लगायत 5 (प्रत्येक का) 1 / 5 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है।
- प्रतिपक्षी क्रम–1 द्वारा उपरोक्त संयुक्त आराजी में निहित अपने 1 / 5 हिस्से अर्थात 0.546 हैक्टर में से प्रार्थीगण को 0.32 हैक्टर का बेचान जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र से कर दिया है, जिससे प्रार्थी उपराक्त आराजी में से 0.32 हैक्टर के सद्भावी क्रेता है।
- प्रतिपक्षीगण द्वारा उक्तानुसार आराजी के बेचान का तथ्य छिपाते हुये प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी सहित सम्पूर्ण 1 / 5 हिस्से को बैंक में रहन रख दिया है, जिसका अंकन राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में हो रहा है।
- प्रार्थी अपनी क्रयशुदा आराजी का नामान्तरकरण खुलवाने प्रतिपक्षी क्रम–6 के पास गया तो उसने सम्पूर्ण आराजी रहन होने के कारण नामान्तरकरण तस्दीक करने से इन्कार कर दिया।
- इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण से विवादित आराजी में प्रार्थी के हिस्से को रहनमुक्त करवाने के लिये कहा, तब भी उन्होने न तो प्रार्थी की खुरीदशुदा आराजी को रहनमुक्त नहीं करवाया और न ही भैतिक रूप से कब्जा संभलाया बल्कि वे आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है।
- इस प्रकार यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है।
- यदि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के निहित हिस्से की आराजी को रहन, बैय, हिबा,

T.I.ChatriBai.GaneshRam

वसीयत आदि तरीको से खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना संभव नहीं होगा तथा प्रार्थीगण को अनावश्यक वाद विवाद में उलझना पडेगा।

o अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि प्रतिपक्षी क्रम–1 लगायत 5 के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेपधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण, विवादित आराजी में प्रार्थीगण के निहित हिस्से 0.32 हैक्टर की आराजी को रहन, वैय, हिबा, वसीयत आदि तरीको से खुर्द बुर्द नहीं करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी अधिकृत व्यक्ति से करावें।

3- दौराने वाद प्रकरण में, प्रतिपक्षीगण को जर्ये पंजीकृत डाक तलवी नोटिस जारी किये गये जिनकी Track Report के अनुसार Item Delivered हो चुकी है। फलस्वरूप आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6^1(क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। फलस्वरूप, प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई :–

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 544/1, 647, 648, 649, 691/1 कुल किता 5 रकबा 2.733 हैक्टर आराजी में प्रतिपक्षी क्रम–1 लगायत 5 (प्रत्येक का) 1/5 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त संयुक्त आराजी में निहित प्रतिपक्षी क्रम–1 के 1/5 हिस्से अर्थात 0.546 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गई है। इस प्रकार प्रार्थी उपराक्त आराजी में से 0.32 हैक्टर के सद्भावी क्रेता है। प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी की खुरीदशुदा आराजी सहित सम्पूर्ण आराजी को बैंक में रहन रख दिया है। प्रार्थी जब अपनी क्रयशुदा आराजी का नामान्तरकरण खुलवाने प्रतिपक्षी क्रम–6 के पास गया तो उसने सम्पूर्ण आराजी रहन होने के कारण नामान्तरकरण तस्दीक करने से इन्कार कर दिया। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण से विवादित आराजी में प्रार्थी के हिस्से को रहनमुक्त करवाने के लिये कहा, तब भी उन्होने न तो प्रार्थी की खुरीदशुदा आराजी को रहनमुक्त नहीं करवाया और न ही भौतिक रूप से कब्जा संभलाया बल्कि वे आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस प्रकार यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित है औश्र सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। यदि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के निहित हिस्से की आराजी को रहन, बैय, हिबा, वसीयत आदि तरीको से खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना संभव नहीं होगा तथा प्रार्थीगण को अनावश्यक वाद विवाद में उलझना पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि प्रतिपक्षी क्रम–1 लगायत 5 के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण, विवादित आराजी में प्रार्थीगण के निहित हिस्से 0.32 हैक्टर की आराजी को रहन, बैय, हिबा, वसीयत आदि तरीको से खुर्द बुर्द नहीं करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी अधिकृत व्यक्ति से करावें।

4- हमने प्रार्थीगण के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :–

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है ?

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है।

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे, यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर

सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्ट्या है अथवा नही, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

प्रस्तुत प्रकरण में हम पाते है कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी में प्रतिपक्षी क्रम–1 के निहित 1/5 हिस्से अर्थात 0.546 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर का जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया गया है। उक्त विक्रय पत्र में प्रार्थीगण को कब्जा दिये जाने तथा विवादित आराजी कही रहन नहीं होने तथा रहन होने की अवस्था में रहन हटवाने का उल्लेख है। प्रार्थना पत्रानुसार प्रार्थीगण को न तो भौतिक रूप से कब्जा संभलाया गया है और ना ही रहन हटवाया गया है। इससे प्रार्थीगण के मन में यह भय व्याप्त है कि कहीं प्रतिपक्षीगण (प्रार्थीगण की क्रयशुदा आराजी सहित) सम्पूर्ण आराजी को ही रहन, बेचान आदि माध्यमों से खुर्द बुर्द नहीं कर दे। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में अपने हिस्से के सुरक्षार्थ यह प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है।

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में होना, बताना पडेगा। इसके लिये प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिये उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थी को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिये ।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी में प्रतिपक्षी क्रम–1 के 1/5 हिस्से अर्थात 0.546 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किये जाने के कारण प्रार्थीगण के सद्भावी क्रेता है तथा अपनी क्रयशुदा आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किये जाने के कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रतिपक्षी क्रम–1 से विवादित आराजी में निहित उसके 1/5 हिस्से अर्थात 0.546 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर आराजी क्रय की गई, जिसका न तो भैतिक रूप से कब्जा संभलाया और ना ही प्रार्थीगण की क्रयशुदा आराजी उनके खाते दर्ज कराई गई है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपना नामान्तरकरण खुलवाने हेतु सम्पर्क किया तो सम्पूर्ण विवादित आराजी रहन होने के कारण नामान्तरकरण नहीं खोला गया। इस पर प्रार्थीगण द्वारा प्रतिपक्षी क्रम–1 से कहने पर भी रहन नहीं हटवाया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किये जाने के बावजूद भी वे उसका उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड रहा है और इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना संभावित है।

5- आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत उपरोक्त निर्धारित शर्तो और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के निहित प्रावधानानुसार किये गये समस्त विवेचन तथा प्रकरण पर सुनी गई बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

प्रकरण की विवादित आराजी प्रतिपक्षी क्रम–1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रतिपक्षी क्रम–1 द्वारा विवादित आराजी में निहित अपने 1/5 हिस्से अर्थात 0.

546 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर आराजी का प्रार्थीगण को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया है किन्तु न तो प्रार्थीगण को उनकी क्रयशुदा आराजी का भौतिक कब्जा संभलाया गया और ना ही विवादित आराजी में अंकित रहन का नोट हटवाया गया जिससे यह प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा विवादित आराजी का उपयोग उपभोग नहीं कर पाने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की निर्धारित शर्ते प्रार्थीगण के पक्ष में होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अनुसार प्रार्थीगण के प्रभावित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी क्रम–1 के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि वे, ग्राम कैथून की विवादित आराजी खसरा नम्बर 544/1, 647, 648, 649, 691/1 कुल किता 5 रकबा 2.733 हैक्टर में प्रार्थीगण की पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रयशुदा आराजी 0.32 हैक्टर को रहन, बेचान, वसीयत आदि माध्यमों से खुर्द बुर्द नहीं करें।

6- यह निर्णय आज दिनांक 03 मई, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

3/5/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा